न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :—स्वाति गुप्ता आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :—035 / 2022

1 हरिसिह पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी बेहरवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

— — प्रार्थी

<u>बनाम</u>

1. कृष्ण कुमार पुत्र भीयांराम जाति जाट निवासी बेहरवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. बंशीलाल पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी बेहरवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. रोहिताश जांगू पुत्र औमप्रकाश जाति जाट निवासी बेहरवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
4. विजयसिह पुत्र भीयांराम जाति जाट निवासी बेहरवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
5. औमप्रकाश पुत्र साजनराम जाति जाट निवासी बेहरवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
6. महेन्द्र कुमार पुत्र साजनराम ज़ाति जाट निवासी बेहरवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
7. राजेन्द्र कुमार पुत्र साजनराम जाति जाट निवासी बेहरवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
8. सीताराम कुमार पुत्र साजनराम जाति जाट निवासी बेहरवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
9. पार्बती देवी पुत्री साजनराम जाति जाट निवासी बेहरवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
10. मोहिनी देवी पुत्री साजनराम जाति जाट निवासी बेहरवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
11. सावित्री देवी पुत्री साजनराम जाति जाट निवासी बेहरवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
12. कुलदीप पुत्र हरीसिह जाति जाट निवासी बेहरवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:10:09 IST
Reason: SelfAttested

13. नेहा यादव पत्नी पूनम कुमार जाति अहीर (यादव) साकिन बेहरवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

14. रामचन्द्र पुत्र धना जाति जाट निवासी बेहरवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

15. सन्दीप पुत्र हरीसिंह जाति जाट निवासी बेहरवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

16. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी। — — अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क)

उपस्थित अभिभाषकगणः—

1. श्री सुभाषचन्द्र गर्ग अधिवक्ता — —प्रार्थी
2. श्री महावीर प्रसाद वर्मा अधिवक्ता — —अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक :— 13.02.2024

प्रार्थी हरिसिंह ने अप्रार्थीगण के विरूद्व यह प्रार्थना पत्र 251ए आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में पेश किया है कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 12 ता 15 के नाम से चक नम्बर 654 आर.डी. के खाता संख्या 94/150 में पत्थर नम्बर 221/311(20) किला नम्बर 3 ता 8 पत्थर नम्बर 222/309(5) किला नम्बर 22 ता 25, पत्थर नम्बर 222/310(10) किला नम्बर 2 ता 9, पत्थर नम्बर 223/310(9) किला नम्बर 1, 9, 10 कुल 5.313 हैक्टर कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। नकल जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना–पत्र है।

चक नम्बर 654 आर.डी. के खाता संख्या 103/89 में कुल 5.186 हैक्टर में अप्रार्थी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 2 का 506/2593 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 3 का 232/2593 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 4 का 2972/7779 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है तथा चक नम्बर 654 आर.डी. के खाता संख्या 121/103 में कुल 5.187 हैक्टर में अप्रार्थीगण संख्या 5 ता 11 का ब0हि0ब0 राजस्व रिकॉर्ड है। नकल जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना–पत्र है

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टिब्बी

प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 12 ता. 15 को अपनी भूमि में आवागमन के लिए रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 12 ता 15 अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 की कृषि भूमि चक नम्बर 654 आर.डी. के पत्थर नम्बर 222/310(10) किला नम्बर 22 व अप्रार्थीगण संख्या 5 ता 11 की भूमि चक नम्बर 654 आर.डी. के पत्थर नम्बर 222/310(10) किला नम्बर 12 व 19 से होकर अपनी भूमि पत्थर नम्बर 222/310(10)

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:10:09 IST
Reason: SelfAttested

किला नम्बर 9 में प्रवेश करते चले आ रहे है। उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 12 ता 15 के पास अपनी भूमि में आवागमन के लिए कोई अन्य रास्ता नही है। उक्त रास्ता मौका पर चालू है तथा इसके अलावा प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 12 ता 15 के पास अपनी भूमि में आवागमन के लिए अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है।

प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 12 ता 15 को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए एक मात्र यही रास्ता है व इसी रास्ता से होकर अपनी आराजी सिंचित व काश्त करते चले आ रहे है व उक्त चालू रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन अंकित नही होने से प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 12 ता 15 को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 12 ता 15 अप्रार्थीगण की भूमि चक 654 आर.डी. के पत्थर नम्बर 222/310(10) किला नम्बर 12. 19. 22 के पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण की तरफ एक बिश्वा चौड़ा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है। रास्ता में आई भूमि के बदले में डी.एल.सी. रेट के अनुसार राशि अथवा अप्रार्थीगण के चिपती भूमि देने के लिए तैयार है।

प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 12 ता 15 ने अप्रार्थीगण को आज से एक सप्ताह पूर्व उपरोक्त चालू रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने का निवेदन किया तो अप्रार्थीगण कतई इन्कार हो गये, बस यही बिनाय प्रार्थना पत्र है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पूर्ण कोर्टफीस पर तहरीर है व अन्दर मियाद तथा काबिल समायत अदालत हाजा के है।

लिहाजा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए. पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 11 की भूमि चक नम्बर 654 आर.डी. के पत्थर नम्बर 222/310(10) किला नम्बर 12, 19, 22 के पश्चिम दिशा में उतर से दक्षिण तरफ एक बिश्वा चौड़ा रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता का अंकन किये जाने के आदेश फरमावे।

उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलेक्टर
डिग्गी

उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थना–पत्र पेश होने पर सरिस्ता की रिपोर्ट के बाद प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 4 ने प्रार्थना–पत्र की दफाओं को स्वीकार करते हुए अपना सहमति का जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया व अप्रार्थी संख्या 2, 3, 5 ता 12 ने हल्का पटवारी व गिरदावर द्वारा मौका निरीक्षण के दौरान अपनी सहमति प्रदान की। मुताबिक सहमति अप्रार्थीगण फर्द मौका मय राजीनामा तैयार किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:10:09 IST
Reason: SelfAttested

जिस पर समस्त पक्षकारान के हस्ताक्षर करवाये गये। मुताबिक राजीनामा पत्थर नम्बर 222/310(10) किला नम्बर 12, 19, 22 में 0.013 हैक्टर प्रत्येक किला में रास्ता दिया जाकर रास्ते में आई भूमि के बदले प्रार्थी हरिसिंह चक नम्बर 654 आर.डी. पत्थर नम्बर 222/310(10) किला नम्बर 9 में दक्षिण–पश्चिमी कॉर्नर में 8½×8½ फुट गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे तथा चक नम्बर 654 आर.डी. के खाता संख्या 94/150 पत्थर नम्बर 222/310(10) किला नम्बर 7, 8, 9 प्रत्येक किला में से 0.0086 हैक्टर भूमि अप्रार्थी संख्या 5 ता 8 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में व0हि0व0 दर्ज की जावे। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 व 4 जो कि तरतीबी पक्षकार है, रास्ते में आई भूमि के बदले चक नम्बर 650 आर.डी. के खाता संख्या 184 पत्थर नम्बर 222/310(10) किला नम्बर 24 में 0.013 हैक्टर रकबा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के नाम व0हि0व0 राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाता है तो हम समस्त पक्षकारान को कोई उज्र व ऐतराज नहीं है। इसी अनुसार हमारा आपस में राजीनामा हो गया है व हम पक्षकारान इससे पूर्णतया सहमत हैं। तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जो शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सहमति का जबाब प्रार्थना पत्र व पत्रावली मे संलग्न जमाबन्दीयों व अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, व तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी के जवाव प्रार्थना–पत्र, फर्द मौका मय राजीनामा का अवलोकन किया गया। रास्ता की आत्यांतिक आवश्यकता व वैकल्पिक रास्ते के अभाव के मद्देनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

प्रार्थी एवम् अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाव प्रार्थना–पत्र मय राजीनामा के अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य पाये जानें पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) के अन्तर्गत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थर नम्बर 222/310(10) किला नम्बर 12, 19, 22 में 0.013 हैक्टर प्रत्येक किला में व चक नम्बर 654 आर.डी. पत्थर नम्बर 222/310(10) किला नम्बर 9 में दक्षिण–पश्चिमी कॉर्नर में 8½×8½ फुट रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ते का अंकन किया जावे। रास्ते में आई भूमि के बदले प्रार्थी हरिसिंह का चक नम्बर 654 आर.डी. के खाता संख्या 94/150 पत्थर नम्बर 222/310(10) किला नम्बर 7, 8, 9 प्रत्येक किला में से 0.0086 हैक्टर भूमि अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी व पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:10:09 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 5 ता 8 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में ब0हि0ब0 दर्ज की जाकर प्रार्थी हरिसिंह का हिस्सा कम व अप्रार्थी संख्या 1 व 4 की भूमि चक नम्बर 650 आर.डी. के खाता संख्या 184 पत्थर नम्बर 222/310(10) किला नम्बर 24 में 0.013 हैक्टर रकबा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के नाम ब0हि0ब0 राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 व 4 का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

निर्णय आज दिनांक......13:02:2024........को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:10:09 IST
Reason: SelfAttested